

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

उप खण्ड अधिकारी (नियम 26)

अज अदालत

बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़

मुकाम

सुन्द (काष्ठ)

बनाम

सोहन


किस्म मुकद्दमा

नं.

सन्

प्रा. 45

14/2/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
31/5/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा.....<u>पारलिचा</u>.....की ग्राम.....की आ.न. <u>478 मी. रकबा 2.44 ई.</u> की <u>486 मी. 487</u> की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी <u>2.60 ई.</u> की मौजुदगी में की जावे।</p> <p>प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रूपये <u>2500/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।</p> <p>पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी</p>	

